न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-244 RAAJodhpur2022-85RTA223 Bhomaram Ors Vs Sukharam etc

01. *भोमाराम पुत्र गणेशाराम*
02. *रावतराम पुत्र लादूराम*
03. *खेताराम पुत्र लादूराम*
04. *वीराराम पुत्र लादूराम*

सभी जातियान् जाट, निवासीगण- हिरा मोती नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. *सुखाराम पुत्र लादूराम, जाति जाट, निवासी- हिरा मोती नगर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।*
2. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।*

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 दिसंबर 2014 राजस्व वाद संख्या 237/2011 सुखाराम बनाम भोमाराम इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 09 दिसंबर, 2022

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 दिसंबर 2014 राजस्व वाद संख्या 237/2011 सुखाराम बनाम भोमाराम इत्यादि के खिलाफ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 मई 2022 को पेश की गयी है।

अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का क्षमा किये जाने हेतु निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या एक ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 852 रकबा 09.08 बीघा, खसरा नं. 853 रकबा 16.05 बीघा, खसरा नं. 863 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 864 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं. 865 रकबा 95.15 बीघा, खसरा नं. 884 रकबा 1.11 बीघा ग्राम चुतरनगर हाल हिरा मोती नगर के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया जाकर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 01 दिसंबर 2014 को अंतिम डिक्री जारी की गई, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक पक्षीय, प्राकृतिक न्याय तथा विधि के अनिवार्य प्रावधानों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ व बिना क्षेत्राधिकार की होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को न तो नोटिस जारी किया गया, न ही जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया, बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई। रेस्पोडेंट संख्या एक का संपूर्ण भूमि में 1/8 हिस्सा बनता है। उसी अनुसार सभी खसरो में 1/8 हिस्सा भूमि दी जानी थी तथा कब्जा भी सभी खसरान् में 1/8 हिस्सा अनुसार ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। माननीय विचारण न्यायालय ने दिनांक 13.09.2013 को प्राथमिक डिक्री जारी की जिसमें सभी खातेदारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स से बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवाया, लेकिन तहसीलदार न तो मौके पर गया तथा न ही खातेदारों को नोटिस जारी किये गये। कार्यालय में बैठकर पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जबकि काश्तकारी नियमों के अनुसार तहसीलदार मौके पर जाकर सभी पक्षकारों को नोटिस देकर व सुनकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था। किंतु हस्तगत मामले में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक को ही एक खसरे में व सड़क पर संपूर्ण भूमि दी गई, जबकि काश्तकारी अधिनियम के नियमों के अनुसार सभी खातेदारों को उपजाउ व अनुपजाउ, मुख्य सड़क पर बराबर जमीन देनी चाहिए थी। उक्त बिंदु पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर ही नहीं किया गया। खसरा नं. 865 का रकबा भी सेटलमेंट के समय जो गलत लिखा हुआ है। उक्त खसरा नक्शे के अनुसार लगभग 75 बीघा ही है, जबकि जमाबंदी में रकबा 95

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा 15 बिस्वा लिखा हुआ है, इस कारण उक्त बिंदु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर भरे गये नामांतरकरण में उक्त रेस्पोडेंट का हिस्सा अलग करने के बाद भोमाराम का 1/2 हिस्सा तथा रावतराम, खेताराम, वीराराम पुत्र लादूराम का भी 1/2 हिस्सा लिख दिया गया, जिससे अपीलांट संख्या एक को कम जमीन हिस्से में आती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण गरीब काश्तकार है जो गॉव में निवास करते है, अभी हाल ही में के.सी.सी. हेतु पटवारी से जमाबंदी ली तो निर्णय व डिक्री का ज्ञान हुआ, तब प्रार्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय की नकल प्राप्त की, तब प्रार्थी को प्रथम जानकारी हुई। इस कारण प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अपील को म्याद के बिंदु पर खारिज नहीं करके मैरिट पर निर्णित किया जाना कानूनन न्यायोचित है तथा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि म्याद के बिंदु पर नम्र रूख अपनाते हुए अपील को मैरिट पर निर्णित किया जावे। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जावे तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 दिसंबर 2014 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर सभी पक्षकारान् को सुनकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब कर अंतिम डिक्री पारित किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में योग्य अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लाई जाकर तहसीलदार फलोदी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के लगभग 7 वर्षो बाद पेश की तथा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। उपलब्ध सम्मन तामीली रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को भेजे गये सम्मनो की प्राप्ति रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुताबिक अपीलांट्स स्वयं पर तामील नहीं करवाकर भतीजा से तामील करवाये गये है। रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है कि तामीलकर्ता किसका पुत्र है? नियमानुसार तामील रिपोर्ट पर **दो मौतबिरान् के हस्ताक्षर होने चाहिए जो तामील रिपोर्ट पर नहीं पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स पर सम्मन की सम्यक तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता है।** जिससे अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, राजस्व मण्डल द्वारा अपने न्यायिक निर्णयों में म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने पर जोर दिया है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जताते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर मयाद शुमार की जाती है।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.09.2013 के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं की गयी है, अतः उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री बाबत किसी प्रकार का संशोधन अथवा हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख <u>विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रतिवादीगण/अपीलांट्स को सूचना दी जाना नहीं पाया जाता है जो विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षरों के अभाव पाया जाता है।</u> विभाजन पस्ताव राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी

काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में तहसीलदार फलोदी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का लोहावट द्वारा तैयार किया गया है जो तहसीलदार फलोदी द्वारा सहायक कलक्टर फलोदी को प्रेषित पत्र क्रमांकः भू.अ./2013/655 दिनांक 06.05.2014 में वर्णनानुसार कि ''**पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में साद पेश है।**'' से स्पष्ट है। विभाजन प्रस्ताव में प्रत्यके खसरान् में पक्षकारान् के हिस्से नहीं रखे गये है तथा वादी को मुख्य सड़क की भूमि दिया जाना पाया जाता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 दिसंबर 2014 राजस्व वाद संख्या 237/2011 सुखाराम बनाम भोमाराम इत्यादि खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले मे नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं की मौके पर उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 सें 21 की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार करवाकर उस पर उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.12.2022

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर